

# झारखंड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची - 834001

## विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति  
की अंतिम तिथि-15/05/2019

विज्ञापन संख्या-03/2019

### झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभाग में सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित अध्याचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-01/2019 को रद्द करते हुए विभाग के पत्रांक-135(9) दिनांक-05.04.2019 के आलोक में योग्य अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से पुनः विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं।

2. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं एवं इस विज्ञापन में निर्धारित अर्हता रखते हैं उन्हें पुनः आवेदन पत्र भरना है परन्तु परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मात्र पूर्व में किये गये शुल्क भुगतान का साक्ष्य (SBI Collect Slip की प्रति) संलग्न करना आवश्यक होगा।

क्र०सं०	विभाग का नाम	कोटि						
		UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS	Total
1.	ऐनाटोमी	02	03	01	01	-	01	08
2.	फिजियोलॉजी	02	02	01	01	-	-	06
3.	बायोकेमिस्ट्री	01	02	01	01	-	-	05
4.	पैथोलोजी	06	03	01	01	-	01	12
5.	माइक्रोबायोलॉजी	-	02	01	01	-	-	04
6.	एफ०एम०टी०	02	01	-	01	-	-	04
7.	फार्माकलोजी	03	02	01	01	-	-	07
8.	पी०एस०एम०	07	04	01	01	01	01	15
9.	औषधि	09	06	03	02	01	02	23
10.	टी०बी० चेस्ट	05	02	01	01	-	-	09
11.	शिशु रोग	05	03	01	01	01	01	12
12.	सर्जरी	12	06	03	02	02	02	27
13.	अस्थि	06	04	01	01	01	01	14
14.	ई०एन०टी०	03	02	-	02	01	01	09
15.	नेत्र	02	05	-	01	-	01	09
16.	स्त्री एवं प्रसव	08	05	01	01	01	01	17
17.	रेडियोलॉजी	04	01	01	01	-	-	07
18.	रेडियोथेरेपी	05	03	01	01	-	-	10
19.	निश्चेतना	10	06	02	02	01	02	23
20.	दन्त	04	03	01	01	01	01	11
21.	रक्त अधिकोष	04	01	01	01	-	-	07
22.	चर्म एवं यौन रोग	04	02	01	01	-	01	09
23.	मनो रोग	05	02	01	01	-	-	09
24.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	03	01	-	01	-	-	05
	<b>कुल</b>	<b>112</b>	<b>71</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>262</b>

- नोट:—(a) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रावधानित क्षैतिज आरक्षण का लाभ महिला-5 प्रतिशत, खेल कूद-2 प्रतिशत, निःशक्तजनों को 4 प्रतिशत का अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार आदिम जनजातियों को न्यूनतम 2 प्रतिशत पद देय होगा, जो अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पदों में से क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विनियमित होगा।
- (b) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

3. वेतनमान — **PB-III, रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 - 6600**
4. पद — स्थायी
5. परीक्ष्यमान अवधि — 2 (दो) वर्ष
6. अनिवार्य अर्हता:—

Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
Assistant Professor	A Post Graduate Qualification MD/MS in the concerned subject and as per the TEQ regulations.	3 Years Junior Resident in a recognized Medical College in the concerned subject and One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized Medical College.

नोट:— झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सकों पर भी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित उपर्युक्त मापदण्ड ही लागू होंगे।

7. उम्र गणना की तिथि:—01.08.2019

- (a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 30 वर्ष।
- (b) अधिकतम उम्र सीमा :- झारखण्ड चिकित्सा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	45 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11)	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11)	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	50 वर्ष

नोट:—झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधेज नहीं होगा। इसके लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

- (c) दिव्यांगों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।
- (d) निःशक्तजन के आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :- केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा उसे विहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। विहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।

8. **नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-** झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। साक्षात्कार का आयोजन आयोग के Rules of Procedure, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

(i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मुल्यांकन किया जायेगा।

	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
(a) तीन एम0बी0बी0एस0 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग:-	5	4	3	2	1

नोट:- एक या अधिक एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में, खास एम0बी0बी0एस0 परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
(b) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशांसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में प्राप्तांक:-	5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में, अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जायेगा।

- |                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (c) एम0डी0/एम0एस0 अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता:- | 10 अंक |
| (d) उसी स्पेशलिटी में पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सीएच0:-                                         | 10 अंक |
| (e) साक्षात्कार:-                                                                           | 06 अंक |
| (f) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक)                          | 10 अंक |

नोट:- ऐसे एम0आर0सी0पी0, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

(ii) तीन विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

(iii) निम्न वर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी के निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जायेगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

a. अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी झारखण्ड स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1 (एक) अंक।

b. अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 (दो) अंक।

